न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–261/2024

पवन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र आयु वर्ष जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

—वादी

बनाम

1. खेतपाल गिरी पुत्र स्व0 श्री सुखगिरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रा देवी पुत्री श्री खेतपाल गिरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्र गिरी पुत्र श्री खेतपाल गिरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र गिरी पुत्र श्री खेतपाल गिरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. सुमन पुत्री श्री राजेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. पूनम पुत्री श्री राजेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. गीता पुत्री श्री राजेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. सिलोचना पुत्री श्री राजेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. जगदीश गिरी पुत्र श्री सुख गिरी जाति गुसाई निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लो	वादी
2. श्री सोहन लाल सुथार	प्रतिवादी संख्या 1 व 3
3. श्री तरसेम सिंह	प्रतिवादी संख्या 2,5,6,8
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा।	प्रतिवादी संख्या 10

:: निर्णय ::

दिनांक 28/3/25

वादी ने उक्त शीर्षक का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिवक्त श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 12.11.2024 को प्रस्तुत किया है। वाद पत्र वादी निम्न प्रकार है –यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार हेतु प्रमाणिक व पंजीबद्ध पता वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण की वंशावली प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार निम्न कृषि भूमि अंकित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है – चक नम्बर 5 एचडीपी बी पत्थर न0. 6/251 किला नम्बर 7, 8, 13, 14 तादादी 1.012 है0 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या [illegible] है। चक 6 एचडीपी प.न. 7/252 किला न. 7, 8, 12, 13, 18 ता 20 व प[illegible] किला न. 21 ता 23 कुल 1.619 है0 अनकमाण्ड सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम [illegible] 6 एचडीपी प.न. 7/252 किला न. 16 ता 20, 24, 25 व 5/252 [illegible] चक 7 एचडीपी प.न. 8/251 किला न. 21 ता 25 0.[illegible] संख्या 1 का 0.375 हि[illegible] है। यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण का सयुंक्त हिन्दू परिवार है। वाद पत्र की चरण संख्[illegible] में उल्लेखित कृषि भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की सहदायि[illegible] सम्पति है। इस सयुंक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान परिवार के ज्येष्ठ सदस्य प्रतिवादी संख्या 1 है । वादी व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...या 2 ता 8 इस सम्पति के सहदायिक व सहअंशधारी है। इस समस्त कृषि भूमि में चक 5 ...डी०पी०बी० व चक 6 एच०डी०पी० मुन्दर्जा दफा 3 की दफा क व ख की 2.631 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पूर्व पुरूष श्री सुखगर/सुखगिरी से प्राकृतिक उत्तराधिकारिता से पैतृक भूमि के तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 को न्यायगत हुई चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पुत्रों का अविभक्त हिन्दू परिवार था, ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों जिनमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 4 भी थे, ने परिश्रम कर उक्त पैतृक भूमि को काश्त कर सयुंक्त परिवार की सयुंक्त आय को अर्जित कर इस धनराशि से आदर स्वरूप व परिवार के कर्ता खानदान श्री खेतपाल गिरी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 3 ग में वर्णित कृषि भूमि पत्थर नम्बर 7/252 के किला नम्बर 16 ता 20, 24, 25 कुल 0.721 हैक्टेयर भूमि स्मॉल पेच में आवंटित हुई व पत्थर नम्बर 5/252 के किला नम्बर 21 ता 24 की कुल 0.266 हैक्टेयर कृषि भूमि आंवटित करवाई व वाद पत्र की चरण संख्या 3 घ में वर्णित जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा को खरीद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय नहीं थी बल्कि सम्पूर्ण परिवार का भरण-पोषण व धनोपार्जन को सयुंक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पति कृषि भूमि जो पूर्वजों से न्यायगत हुई, से किया गया। इस प्रकार कृषि भूमि मुन्दर्जा दफा 3 वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की स्वः अर्जित सम्पति न होकर बल्कि सयुंक्त हिन्दू परिवार के मैनेजर/कर्ता की हैसियत से उनके नाम क्रय की गई थी, जिसमें वादी का अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा निहित है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 ग में वर्णित खातों की भूमि में वादी के दादा श्री खेतपाल के नाम स्माल पेच में आवंटित हुई व वाद पत्र की चरण संख्या 3 घ में वर्णित कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा को खरीद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की आय किसी अन्य स्त्रोत से कोई आय नहीं थी बल्कि सम्पूर्ण परिवार का भरण-पोषण व धनोपार्जन को सयुंक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पति कृषि भूमि जो पूर्वजों से न्यायगत हुई, से किया गया है। इस प्रकार कृषि भूमि मुन्दर्जा दफा 3 वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति न होकर बल्कि सयुंक्त हिन्दू परिवार के मैनेजर/कर्ता की हैसियत से उनके नाम से क्रय की गई थी, जिसमें वादी का अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा निहित है।

यह कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित खातों की भूमि में वादी के दादा श्री खेतपाल के नाम दर्ज क्रमशः 1.012 हैक्टेयर, 1.615 हैक्टेयर अनकमाण्ड, 0.987 हैक्टेयर, 0. 375 हैक्टेयर कुल 3.655 हैक्टेयर अर्थात 14 बीघा 9 बिस्वा भूमि पैतृक सम्पति है तथा वादी का परिवार हिन्दू विधि की मितासरा शाखा से शासित होने से उक्त वर्णित पैतृक एंव सहदायिक सम्पति में वादी का अपने पिता के जीवनकाल में ही बतौर सहदायिक उनके साथ बहिस्सा बराबर का हक निहित हो चुका है चूंकि वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा जरिये पारिवारिक समझौता मौखिक हक त्याग वादी के पक्ष में कर रखा है, इसी प्रकार वादी की भुआ प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपना हक व हिस्सा पारिवारिक समझौता के अनुसरण में मौखिक हक त्याग किया हुआ है। इस प्रकार चारों खातों की कुल 3.6555 हैक्टेयर भूमि में वादी का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 4 के साथ कुल 1/3 में बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है, उसी अनुसार वादी पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी उक्तानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है, जिनकी पत्नि अर्थात वादी की दादी सावित्री का निधन होने के पश्चात रोटी पानी के लिये अपने पुत्रों पर निर्भर हो गये। जहां प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादीगण पर आश्रित हो गये व उनके दवाब में रहने लगे चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 का वृद्ध हो चुके है व अपने रोटी-पानी, सार-सम्भाल को लेकर जो असुरक्षा का भाव रहता है, उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण अपने पिता की इच्छाओं को शासित कर रहे है। प्रतिवादीगण के उकसाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ... अधिकारों पर कुठाराधात करने के आशय से इस भूमि को बैय व मुन्तकिल करने ... है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि ... को अपरिमेय क्षति होगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ... कृषि भूमि बैय व मुन्तकिल कर दिये जाने से वाद बहुलता बढेगी तथा वादी अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वादी ... विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित चारों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा की कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण वादी को उसके आधिपत्य व धारण से जबरन बेदखल करने व वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार दखलअन्दाजी/बाधा कारित करने से निषिद्व रहे।

यह कि तहसील भूधारक है, इसलिए बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है । यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के इस प्रश्नगत भूमि में निहित अधिकारों से इन्कार कर रहे है। यही वाद कारण है। यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/– रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे –कि इस आशय की घोषणा जारी की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 5 एच०डी०पी०बी०, 6 एच०डी०पी०, 7 एच०डी०पी० में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा तादादी 3.655 हैक्टेयर में वादी 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार है।

कि शाश्वत व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का जारी फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित चारों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा की कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण वादी को उसके आधिपत्य व धारण से जबरन बेदखल करने व वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार दखलअन्दाजी/बाधा कारित करने से निषिद्व रहे ।

कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे

कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को दिलाया जाना उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री सोहन लाल सुथार अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार है –यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 पत्ता से सम्बन्धित होने से स्वीकार हैं।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 2 वंशावली से सम्बन्धित होने से स्वीकार हैं। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में भुमि मिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना स्वीकार हैं। वादी ने तथ्यों को छुपाते हुए मात्र इतना लिख दिया गया है कि भुमि प्रतिवादी के नाम है, लेकिन वास्तविक्ता यह है कि क्रम संख्या क. में कि चक 5 एचडीपी बी की प.न. 6/251 की किला न. 7, 8, 13 व 14 = 1.012 है. व क्रमाक ख. में चक 6 एचडीएफ की प.न. 7/252, 5/252 की कुल 1.619 है, जो राजस्व वाद राजेन्द्र गिर आदि बनाम खेतपाल गिर आदि मुकदमा संख्या 38/2014 में दिनांक 16.9.2014 को जरिये पैतृक भुमि का विभाजन कर डिक्री प्राप्त शुदा है। कि क्रमांक संख्या ग. में चक 6 एचडीपी की प.न. 7/252, 5/252 की 0.987 है, जो मिन प्रतिवादी द्वारा अपनी आमदनी से स्माल पेच में दिनांक 21.7.2008 को अलाट शुदा है तथा क्रमांक संख्या घ. में चक 7 एचडीपी की प.न. 8/251 की 0.375 है. जरिये बैयनामा खरीद शुदा है। वादी इस वाद में स्वच्छ हाथों से वाद नहीं लेकर आया है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 4 स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। भुमि जो पैरा 3 में दर्शायी गई है वह पैतृक भुमि नहीं है जिसका मिन प्रतिवादी ने अपने इस जवाब के पैरा 3 में स्पष्ट वर्णम किया गया है किं भुमि स्वंय अर्जित श्रेणी की होने से वादी को अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं बनती है । वादी को अपने पिता को मिली हुई पैतुक कृषी भुमि जो राजेन्द्र गिर ... में से प्राप्त भुमि में हिस्सा का क्लेम करना चाहिये था। अन्य तथ्य अतिरि... दर्शाये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वाद पत्र की मद सं... वाद पत्र के चरण संख्या 3 घ में वर्णित भुमि जो मिन ... जिसमें संयुक्त रूप से किसी भी प्रकार से कोई निवेश नहीं किया गया हैं। वादी व ...के पिता राजेन्द गिर काफी अर्सा पूर्व मिनश प्रतिवादी से अलग हो गया था तथा पैतृक सम्पति में वाद दायर कर अपना हिस्सा पूर्व में 2014 में ले चुका है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। कि वादी द्वारा झुठे तथ्यों पर वाद किया गया है। जो भुमि वादी विवादित कह कर व पैतृक व सहदायका का बता कर आ रहा है व मिन प्रतिवादी ने अपने जवाब की मद संख्या 3 में वर्णन कर चुका है। कि इस भूमि का मिन प्रतिवादी ने माननीय सहायक कलैक्टर महोदय, पीलीबंगा में मुकदमा संख्या 233/2020 खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर का पेश किया गया था जिसमें वाद की पैरा संख्या 3 की तमाम भुमि का हवाला देते हुए राज. काश्त. अधि. की धारा 92ए व 188 का पेश किया गया था जिसमें दिनांक 21.10.2024 को मिन प्रतिवादी का दावा स्वीकार करते हुए निर्णय मिन प्रतिवादी के पक्ष दिया गया था व प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र गिर मिन प्रतिवादी के आधिपत्य में किसी भी प्रकार से काई दखल नहीं करने से व जबरन बेदखल करने से व मिन प्रतिवादी की भुमि में खडी फसल को किसी भी प्रकार से नष्ट करने से निषेध किया गया व इसी उमर की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। जिसका ज्ञान वादी व वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 4 को बखूबी है। इस प्रकार इस वाद की विवादित भुमि में पूर्व में निर्णय हो चुका है व स्थाई निषेधाज्ञा जारि की जा चुमि है। इसलिए यह वाद पूर्व न्याय Resjudicata की परिभाषा में होने के कारण चलने योग्य ही नहीं है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 1 के वृद्ध होना स्वीकार है बाकी तथ्य मनराढत होने से अस्वीकार है। कि वादी व उसके पिता राजेन्द्र गिर प्रतिवादी संख्या 4 ने मिन प्रतिवादी का जीवन दूभर कर रखा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा कई बार मिन प्रतिवादी को मार पीटा गया व उसके कारण इनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हो चुकि है जिनके खिलाफ प्रथम द्रष्टया मामला मानते हुए पुलिस के द्वारा, इनके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है जो अभी जेरकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 मिन प्रतिवादी को माननीय सहायक कलैक्टर महोदय पीलीबंगा के द्वारा खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर मुकदमा न. 233/2020 का निर्णय दिनांक 21.10.2024 को आदेश व डिक्री मिन प्रतिवादी के पक्ष में किया जा चुका है। जिसका ज्ञान होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया व मुझे कहां की यहां से चले जावो अन्यथा पहले की तरह मार पीट कर मार देगें दोनो ही बदमाश किश्म के है। मिन प्रतिवादी के द्वारा माननीय की अदालत में दिनांक 21.10.2024 के आदेश की पालना के लिए प्रर्थाना पत्र दिया गया जिसमें माननीय के द्वारा पालना के लिए तहसीलदार, पीलीबंगा को आदेशित किया । वादी व प्रतिवादी श्संख्या 4 को इसका ज्ञान होने पर की तहसीलदार व पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जावेगी तो इन्होने यह वाद तमाम झुठे व मन गढत तथ्यो व न्यायालय को गुमराह करते हुए एक तरफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर के तहसीलदार, पीलीबंगा व पुलिस को अस्थाई निषेधाज्ञा जारि होना बताकर उनको कार्यवाही से टाल दिया गया। जिस भुमि को पैतृक होना व अपने व अपने पिता का हिस्सा होनो बताकर वाद पेश किया गया है उसका निर्णय पहले ही खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर में विस्तृत रूप से किया जा चुका है पुनः उसी भूमि को पैतृक होना कथन कर राजेन्द्र गिर प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा अपने पुत्र के द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जो धारा 11 जाब्ता दिवानी के अन्तगर्त पूर्व न्याय सिद्धान्त के द्वारा निषेध है। किसी भी प्रकार की सुनवाई के काबिल नहीं है। खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर वाद पत्र की प्रमाणित प्रति जवाब वाद पत्र राजेन्द्र गिर व निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति संलग्न जवाब है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या श्रीमान जी के अवलोकनार्थ हैं। यह कि वाद पत्र की. मद संख्या 9 स्पष्टतया अस्वीकार है वादी को किसी भी प्रकार से वाद कारण हार्सिल नहीं है। मिन प्रतिवादी की स्वंय अर्जित श्रेणी की भुमि में किसी भी प्रकार से वादी व अन्य प्रतिवादी गण का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिए भुमि देने से इन्कार का प्रशन ही नहीं पैदा होता इसलिए वादी को वाद कारण भी हासिल नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 10 अस्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी के द्वारा पेश किया गया वाद पत्र पूर्वदृन्याय की हद में होने के कारण प्रथम द्रष्टया ही निषेध किया जाने योग्य है। इसलिए वाद पत्र को निषेध किया जावे । वादी के द्वारा मांगा गया अनुतोष वाद पत्र ही प्रथम द्रष्टया निषेध होने के कारण, अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वाद निरस्त किया जावे। श्रीमान जी की अति: कृपा होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या संख्या 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार है– यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 पत्ता से सम्बन्धित होने से स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 2 वंशावली से सम्बन्धित होने से स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में भुमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना स्वीकार है। वादी ने तथ्यों को छुपाते

सहायक कलक्टर एवं
... अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

मात्र इतना लिख दिया गया है कि भुमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है, लेकिन वास्तविक्ता है कि क्रम संख्या क. में कि चक 5 एचडीपी बी की प.न. 6/251 की किला न. 7, 8, 13, व 14 = 1.012 है, व क्रमाक ख. में चक 6 एचडीएफ की प. न. 7/252, 5/252 की कुल 1.619 है. जो राजस्व वाद राजेन्द्र गिर आदि बनाम खेतपाल गिर आदि मुकदमा संख्या 38/2014 में दिनांक 16. 9.2014 को जरिये पैतृक भुमि का विभाजन कर डिक्री की जा चुकि है। जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 व मिन प्रतिवादी का तमाम भुमि में विभाजन हो चुका है जिसमें विवादित भुमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आई है। कि क्रमांक संख्या ग. में चक 6 एचडीपी की प.न. 7/252, 5/252 की 0.987 है. जो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपनी आमदनी से स्माल पेच में दिनांक 21.7.2008 को अलाट करवाई गई है। तथा क्रमांक संख्या घ. में चक 7 एचडीपी की प.न. 8/251 की 0.375 है. जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खरीद शुदा है। वादी इस वाद में स्वच्छ हाथों से वाद नहीं लेकर आया है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 4 स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। भुमि जो पैरा 3 में दर्शायी गई है वह पैतृक भुमि नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 5 स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। कि वाद पत्र के चरण संख्या 3 घ में वर्णित भुमि जो प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद शुदा है जिसमें संयुक्त रूप से किसी भी प्रकार से वादी व मिन प्रतिवादी का कोई निवेश नहीं किया गया हैं। वादी व उसके पिता राजेन्द्र गिर काफी अर्सा पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से अलग हो गया था तथा पैतृक सम्पति में वाद दायर कर अपना हिस्सा पुर्व में 2014 में ले चुका है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। कि वादी द्वारा झूठे तथ्यों पर वाद पेश किया गया है। जो भुमि वादी विवादित कह कर व पैतृक व सहदायीका का बता कर आ रहा है वह प्रतिवादी संख्या 1 की है जिसमें मिन प्रतिवादी व वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 1 के वृद्ध होना स्वीकार है। बाकी [illegible] मनगढत होने से अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या श्रीमान जी के अवलोकनार्थ हैं। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 9 स्पष्टतया अस्वीकार है वादी को किसी भी प्रकार से वाद कारण हासिल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंय अर्जित श्रेणी की भुमि में किसी भी प्रकार से वादी व अन्य प्रतिवादी गण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। मिकर के खिलाफ किसी भी प्रकार से वादी को वाद कारण हासिल नहीं है। क्योंकी वादी के द्वारा मिन प्रतिवादी के खिलाफ कोई अनुतोश नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 10 अस्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी के द्वारा पेश किया गया वाद पत्र पूर्व–न्याय की हद में होने के कारण प्रथम द्रष्टया ही निषेध किया जाने योग्य है। इसलिए वाद पत्र को निषेध किया जावे । वादी के द्वारा मांगा गया अनुतोष वाद पत्र ही प्रथम द्रष्टया निषेध होने के कारण अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वाद पत्र निरस्त किया जावे। श्रीमान जी की अतिः कृपा होगी।

वाद पत्र में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि कि वाद पत्र की विवादित भुमि प्रार्थी के नाम है, व स्वंय अर्जित श्रेणी की भुमि है। वादी के द्वारा पेश किये गये वाद पत्र की चरण संख्या 3 कि क्रम संख्या क. में कि चक 5 एचडीपी बी की प.न. 6/251 की किला न. 7, 8, 13, व 14 =1.012 है. व क्रमाक ख. में चक 6 एचडीएफ की प. न. 7/252, 5/252 की कुल 1.619 है. जो राजस्व वाद राजेन्द्र गिर आदि बनाम खेतपाल गिर आदि मुकदमा संख्या 38/2014 में दिनांक 16.9.2014 को जरिये पैतृक भुमि का विभाजन कर डिक्री प्राप्त शुदा है। कि क्रमांक संख्या ग में चक 6 एचडीपी की प.न. 7/252, 5/252 की 0.987 है. जो मिन अप्राथी द्वारा अपनी आमदनी से स्माल पेच में दिनांक 21.7.2008 को अलाट शुदा है तथा क्रमांक संख्या घ. में चक 7 एचडीपी की प.न. 8/251 [illegible] शुदा है।

यह कि विवादित भुमि का मिन प्रार्थी [illegible] महोदय, पीलीबंगा में मुकदमा संख्या 233 /2020 खेतपा[illegible] किया गया था जिसमें वाद की पैरा संख्या 3 की तमाम भु[illegible] काश्त. अधि. की धारा 92ए व 188 का पेश किया गया था जिसमें दिनांक 21.10.2024 [illegible] मिन प्रार्थी का दावा स्वीकार करते हुए निर्णय मिन प्रार्थी के पक्ष दिया गया था व अप्रार्थी संख्या 4 राजेन्द्र गिर मिन प्रार्थी के आधिपत्य में किसी भी प्रकार से काई दखल नहीं करने से व जबरन बैदखल करने से व मिन प्रार्थी की भूमि में खड़ी फसल को किसी भी प्रकार से नष्ट करने से निषेध किया गया व इसी

सहायक कलक्टर एव
[illegible] अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थीं। जिसका ज्ञान वादी व वादी के पिता प्रतिवादी [illegible]ख्या 4 को बखूबी है। इस प्रकार इस वाद की विवादित भूमि का पुर्व में निर्णय हो चुका है व स्थाई निषेधाज्ञा जारि की जा चुकि है। वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा दुर्भीसंधी के तहत यह वाद पेश किया गया है। कि वाद की विषय वस्तु व पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 4 समान है। वादी के द्वारा बनाये गये अन्य प्रतिवादीगण के परोक्ष रूप से व अप्रत्यक्ष रूप अन्य किसी भी रूप में वादी के द्वारा कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है व नही कोई वाद आरण भी बनता है। विवादित भूमि का पूर्व में निर्णय हो जाने के कारण यह वाद पूर्व न्याय (Resjudicat) की परिभाषा में होने के कारण चलने योग्य ही नहीं है निषेध किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थी काफी वृद्ध व्यक्ति है कि वादी व उसके पिता राजेन्द्र गिरी मिन प्रार्थी का जीवन दूभर कर रखा है। वादी व वादी के पिता के द्वारा कई बार मिन अप्रार्थी को मारा पीटा गया व उसके कारण इनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हो चुकि है जिनके खिलाफ प्रथम द्रष्टया मामला मानते हुए पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है जो अभी जेरकार है। वादी व वादी के पिता को माननीय सहायक कलेक्टर महोदय पीलीबंगा के द्वारा खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर मुकदमा न 233/2020 का निर्णय दिनांक 21.10.2024 को आदेश व डिक्री मिन प्रार्थी के पक्ष में किया जा चुका है। जिसका ज्ञान होने पर वादी व वादि के पिता के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया व मुझे कहा की यहां से चले जावो अन्यथा पहले की तरह मार पीट कर मार देगें दोनो ही बदमाश किश्म के है। मिन प्रार्थी के द्वारा माननीय की अदालत में दिनांक 21.10.2024 के आदेश की पालना के लिए प्रर्थाना पत्र दिया गया जिसमें माननीय के द्वारा पालना के लिए तहसीलदार, पीलीबंगा को आदेशित किया वादी व वादी के पिता को इसका ज्ञान होने पर की तहसीलदार व पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जावेगी तो इन्होने यह वाद तमाम झुठे व मन गढत तथ्यो व न्यायालय को गुमराह करते हुए. एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर के तहसीलदार, पीलीबंगा व पुलिस को अस्थाई निषेधाज्ञा जारि होना बताकर उनको कार्यवाही से टाल दिया गया। जिस भुमि को पैतृक होना व अपने व अपने पिता का हिस्सा होनो बताकर वाद पेश किया गया है उसका निर्णय पहले ही खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर मे विष्तृत रूप से किया जा चुका है पुनः उसी भूमि को पैतृक होना कथन कर राजेन्द्र गिर प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा अपने पुत्र के द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जो धारा 11 जाब्ता दिवानी के अन्तगर्त पूर्व न्याय सिद्धान्त के द्वारा निषेध है। किसी भी प्रकार की सुनवाई के काबिल नहीं है। खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर वाद पत्र की प्रमाणित प्रति जवाब वाद पत्र राजेन्द्र गिर व निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति संलग्न जवाब है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र पूर्व न्याय के सिधान्त की हद में होने से खारीज होने योग्य है। वाद पत्र ही बैशुध होने से खारीज फरमाया जावे। श्रीमान जी की अतिः कृपा होगी।

जवाब प्रार्थना पत्र वादी / अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है शामिल वादी है प्रार्थना पत्र जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम है स्वीकार है । परन्तु उक्त भूमि स्वय अर्जित श्रेणी है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन की मुकदमा स.38/2014 में दिनांक 1.09.2014 को जरिये पैतृक भूमि का विभाजन कर डिक्री प्राप्तशुद्वा है। उक्त वाद में वादी को पक्षकार मुकदमा नही रहा है। कानून ऐसे विभाजन के वाद में वादी को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था। चुंकि उक्त सम्पति में वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका था । उक्त डिक्री पक्षकार मुकदमा द्वारा आपस में मिलिभगत कर वादी से कपट करने के उदेश्य से करवाई गई है। जो वादी को पूर्व में कोई ज्ञान नही रहा है। चक 6 एचडीपी के प.न. 7/252, 5/252 की 0.987 हैक. [illegible] 51 की 0.375 हैक. स्वअर्जित भूमि नही है व न ही उपरोक्त वाद स.38/[illegible] भूमि को शामिल ही नही किया गया है व न ही उक्त भूमि के [illegible] कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन कि मु[illegible] गिर का वादी को बखूबी ज्ञान रहा हो असत्य होने [illegible] में वादी पक्षकार भी नही रहा है। उक्त वाद विवाद्य विषय वर्तमान सस्थित वाद से पूर्ण[illegible]भिन्न है उक्त वाद बेदखली का रहा है व वर्तमान वाद जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने जन्म से ही प्राप्त हक व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...ता की घोषणा चाहते हुए पेश किया गया है। उक्त वाद के पक्षकार वर्तमान वाद पक्षकार भिन्न है ऐसी स्थिति में वादी वाद पत्र पूर्व न्याय के सिद्वान्त से वर्जित नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मात्र प्रार्थना पत्र को रंगत देने व सहनुभूति प्राप्त करने के चलते विधिक परामर्श प्राप्त कर बढा चढा कर प्रस्तुत किये गये है। मन वादी द्वारा कभी भी प्रतिवादी के साथ कोई मारपीट नही की गई है व ना ही वादी के खिलाफ कोई मुकदमा ही दर्ज है। वादी द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर कब्जाकाश्त की जा रही है। प्रार्थी द्वारा इस दफा में किये है। वाद द्वारा वाद पत्र अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रस्तुत करे का वादी अधिकारी है। प्रतिवादीगण के द्वारा यदि पूर्व में कोई डिक कपट के उदेश्य से दुर्भिसंधि कर माननीय न्यायालय से सही तथ्य छुपाकर प्राप्त कर ली है तो वह वादी पर किसी प्रकार से बाध्य नही है। प्रतिवादीगण शुरू से ही एक राय रहे है। जिन्होने वादी के हिस्सा की कृषि भूमि को शुरू से ही खुर्द बुर्द करने हेतू प्रयासरत रहे है व वादी को हमेंशा ही नुकसान पहुंचाया है। प्रतिवादी स.1 वृद्व व्यक्ति है, जिसकी पत्नी सावित्री देवी के निधन के पश्चात् रोटी पानी के लिए अपने पुत्री पर निर्भर हो गये व उनके दबाव रहने लगे है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण अपने पिता प्रतिवादी स.1 की इच्छाओ को शासित कर रहे है। प्रतिवादीगण अपने अन्तर उदेश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिवादी स.1 का नजायज फायदा उठा रहे है। ऐसी स्थिति में जरिये न्यायालय प्रतिवादी स.1 का वाद सरंक्षक न्युक्त किया जाना अति आवश्यक है। जिससे प्रतिवादी स.1 के हितो की रक्षा हो सके। प्रतिवादीगण प्रतिवादी स.1 के नाम उल्लेखित सयुक्त परिवार की भूमि को खुर्द–बुर्द करके वादी व प्रतिवादी स. 1 हक व हिस्सा की के भूमि से वचित करना चाहते है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11 सीपीसी के अनुसार किसी भी तरह वर्जित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

आदेश

प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दृश्टांतों को ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा के खातों की भूमि पहले से डिकी हो चुकी है। पक्षकार भी समान है। वादी अपने पिता से हिस्सा मांगे यदि पूर्व में विभाजन हो चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दावा खारिज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि पूर्व वाद पत्र में बिन्दू संख्या ग व घ की सम्पति शामिल नहीं है पूर्व वृती वाद पत्र बेदखली का दावा था हस्तगत दावा विभाजन का दावा है। दावा की प्रकृति अलग है। पूर्व वाद का निर्णय राजीनामा से फैसला हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

वाद पत्र में प्रश्नगत रकबा के संबंध में पूर्व में वाद पत्र संख्या 233/2020 खेतपाल गिर बनाम राजेन्द्र गिर निर्णय दिनांक 21.10.2024 किया गया है इस लिए पूर्वन्याय या प्रांन्याय के तहत यदि उस विशेष दावे पर पिछले वाद में गुण–दोष के आधर पर अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है तो मामला फिर से उसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है अर्थात प्रांन्याय का सिद्धान्त हस्तगत वाद पत्र पर साबित होता है अतः सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/... को मेरे ... लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:00 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner